प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन यथा समय–समय पर संशोधित भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्यों, अधिकारों एवं सेवा शर्तों) अधिनियम, 1971 की धारा 19–क के अधीन सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से सम्बन्ध रखता है। विभागों द्वारा प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों का लेखापरीक्षा परिणाम पृथक् रूप से प्रस्तुत किया गया है।

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक (सी0ए0जी0) के द्वारा की जाती है। राज्य की सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सम्बन्धित विधानों द्वारा अधिशासित होती है।

3. इस प्रतिवेदन में वे मामले उल्लेखित हैं, जो वर्ष 2012–13 के दौरान लेखाओं की लेखापरीक्षा के क्रम में देखने में आये, साथ–साथ वे जो पूर्व के वर्षों में ध्यान में आए किन्तु पिछले प्रतिवेदनों में सम्मिलत नहीं किये जा सके। 2012–13 के बाद की अवधि से सम्बन्धित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझे गए, सम्मिलित कर लिए गये हैं।

4. इस प्रतिवेदन में सन्निहित सामग्रियों के मामले में लेखापरीक्षा सी0ए0जी0 द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानक के अनुरूप संचालित की गई है।